संलग्नक=05

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर

संख्याक: मान्यता / 3664-65 / 2016–17 दिनांक: 09-08-16

आदेश

प्रबन्धक शान्ति देवी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर, द्वारा दिनांक 29.10.2014 को अपने विद्यालय का नाम शान्ति देवी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर के स्थान पर शान्ति देवी पब्लिक स्कूल ,ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर करने का आवेदन किया गया था। इस हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.11.2015 पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव को खण्ड शिक्षा अधिकारी वि0ख0 मोरना द्वारा संस्तुत किया गया।

सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे0शिवप0 / सामान्य(5) / 24445–532 / 94–95 दिनांक 23.5.1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के पत्रांक म0स0शि0नि0 (बे) / 233–36 / 2016–17 दिनांक 10.6.2016 के द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर शान्ति देवी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर का नाम परिवर्तन कर शान्ति देवी पब्लिक स्कूल ,ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर,किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि वर्तमान नाम पर विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा तथा विद्यालयतन्त्र मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करेगा।

(चन्द्रकेश सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

पृ0स0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:–खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड, बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर।

2:–प्रबन्धक, शान्ति देवी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ककरौली विकासखण्ड मोरना, जनपद–मुजफ्फरनगर।

3:–कार्यालय पत्रावली।

08.08.16

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

Manager
S.D Public School
Kakrauli (M.Nagar) U.P

Principal
S.D. Public School
Kakrauli (M.Nagar) U.P

सॅलग्नक-03

प्ररूप–2

ग्राम :
ई–मेल :

फोन :
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

संख्यांक: 4151

तारीख : 27-11-12

प्रबन्धक,

शान्ति देवी पब्लिक
जूनियर हाई स्कूल,
ककरौली, मुजफ्फरनगर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **10.12.2011** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै, **निदेशालय स्तर पर गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23.07.2012 में लिए गये निर्णय "कि एन0बी0सी0 का वैधानिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मान्यता आदेश निर्गत हो" के अनुकम में प्रबन्धक श्रीमती सुदेश शान्ति देवी पब्लिक स्कूल ककरौली के पत्र दिनांक 30.10.2012 के द्वारा जे0ई आर0ई0एस0 मु0नगर एंव ए0ई0 आर0ई0एस0 मु0नगर का दिनांक 22.12.2010 को निर्गत एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करने एंव श्री रणजीत सिंह प्राल, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांक / 6486 / 2012–13 दिनांक 07.11.12 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर शान्ति देवी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ककरौली, मुजफ्फरनगर।** को तारीख **31.07.2012** से तारीख **30.07.2015** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध 1) और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2001 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–हीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा औरउन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा होजाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया

सुदेश
Manager
Shanti Devi Public School
Kakrauli (MZN)

Principal
Shanti Devi Public School
Kakrauli (Muzaffarnagar)

संलग्नक-03

जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(ii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(viii) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ix) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(x) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(xi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यो का पालन करता है और।

(xii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षणं के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	2736.66 वर्गमीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	888.88वर्गमीटर
कीडा स्थल का क्षेत्रफल	5464वर्गमीटर
कक्षाओं की संख्या	
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	हैं।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	हैं।
पेयजल सुविधा	हैं।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	— —
बाधारहित पहुंच	हैं।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	हैं।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा– स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा हैं।

सुदेश
Manager
Shanti Devi Public School
Kakrauli (MZN)

Principal
Shanti Devi Public School
Kakrauli (Muzaffarnagar)

संलग्नक-03

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **E-01/2012** हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता हैं,जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

सुदेश
Manager
Shanti Devi Public School
Kakrauli (MZN)

Principal
Shanti Devi Public School
Kakrauli (Muzaffarnagar)